(1)

प्रेस–नोट

राज्य सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार हेतु बॉयोफ्यूल्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 लागू की गयी है। इस नीति के लागू होने के पश्चात् राज्य में बॉयोफ्यूल्स के क्षेत्र में निवेशकों को काफी प्रोत्साहन मिला है।

इस प्रक्षेत्र में और अधिक निवेश आने की संभावना तथा निवेशकों की रूची को देखते हुए बिहार "बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025" के अन्तर्गत निजी कंपनियों/तेल विपणन कम्पनियों (OMCs) द्वारा कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाइयों के लिए सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल पर स्टेज–1 क्लीयरेंस के लिए दिनांक–31.03.2027 तक तथा वित्तीय स्वीकृति के लिए दिनांक–31.03.2028 तक अवधि विस्तार किया गया है।

कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाई स्थापित किये जाने हेतु निजी कंपनियों/तेल विपणन कम्पनियों (OMCs) को बियाडा के निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 25 प्रतिशत भूमि रु0 75,000.00 (रुपये पचहत्तर हजार) मात्र प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्षों के लीज पर दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

7/5/2025

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

2

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या– **SIPB/Court Case/142/2022**

प्रेस नोट

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 के अंतर्गत ऐसी ईकाईयाँ जिन्हें राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद / जिला स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस समिति का अनुमोदन प्राप्त है एवं इकाई कार्यरत है, परन्तु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है को उनके द्वारा दिनांक 31.08.2023 तक विभागीय पोर्टल पर किए गए 74 आवेदनों के अनुदान दावा को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वैधानिक अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरांत अनुमान्य प्रोत्साहन लगभग 453 करोड़ (चार अरब तिरपन करोड़) का भुगतान किया जा सकेगा तथा उक्त इकाईयों को उनके शेष अनुमान्यता अवधि के लिए एस0जी0एस0टी0 / वैट एवं विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

7/4/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
कृषि विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य के विभाजन के उपरान्त उत्तरवर्त्ती बिहार राज्य के लोगों की जीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। बिहार राज्य के कृषि रोड मैप अन्तर्गत कृषि को लाभकारी बनाए जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को राज्य में संचालित किया जा रहा है। बिहार राज्य बागवानी मिशन, बिहार राज्य बीज निगम, फसल बीमा, कृषि यांत्रिकीकरण, उपादान समेत अनेकों कृषि योजनाओं का लाभ युक्तियुक्त रूप से प्रत्येक कृषकों तक पहुँचाने तथा आम उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में कृषि संबंधी कार्यों के सुगमतापूर्वक संचालन को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई की जानी है, ताकि सभी स्तर पर पूर्ण कार्यबल उपलब्ध हो सके, जिनके माध्यम से संचालित योजनाओं का शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके एवं राज्य के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

राज्य में बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग के रिक्त पदों को नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरने के उद्देश्य से ''बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025'' प्रवृत्त की जा रही है।

(संजय कुमार अग्रवाल),
सरकार के सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

4

बिहार सरकार
कृषि विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य के विभाजन के उपरान्त उत्तरवर्त्ती बिहार राज्य के लोगों की जीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। बिहार राज्य के कृषि रोड मैप अन्तर्गत कृषि को लाभकारी बनाए जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को राज्य में संचालित किया जा रहा है। बिहार राज्य बागवानी मिशन, बिहार राज्य बीज निगम, फसल बीमा, कृषि यांत्रिकीकरण, उपादान समेत अनेकों कृषि योजनाओं का लाभ युक्तियुक्त रूप से प्रत्येक कृषकों तक पहुँचाने तथा आम उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में कृषि संबंधी कार्यों के सुगमतापूर्वक संचालन को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–1 (शष्य) संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई की जानी है, ताकि सभी स्तर पर पूर्ण कार्यबल उपलब्ध हो सके, जिनके माध्यम से संचालित योजनाओं का शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके एवं राज्य के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

राज्य में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–1 (शष्य) संवर्ग के रिक्त पदों को नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरने के उद्देश्य से "बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–1 (शष्य) (संशोधन) नियमावली, 2025" प्रवृत्त की जा रही है।

(संजय कुमार अग्रवाल),
सरकार के सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। प्रेस नोट ।।

खेल विश्वविद्यालय, राजगीर (नालंदा) में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के निर्धारित मानक के अनुरूप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (B.P.Ed.) एवं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (M.P.Ed.) पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं अन्य निकायों से निर्धारित मानक के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण विभागों में विशेषीकृत 02 वर्षीय (चार सेमेस्टर) पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम एवं 01 वर्षीय (दो सेमेस्टर) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन तथा स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नाकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर में विभिन्न कोटि के कुल 244 (दो सौ चौवालीस) पदों के सृजन से किया गया है।

15.4.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

6

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्रांक–1876 दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

विभाग का नामः– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की शून्य ग्राह्यता की नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु श्री विजय कुमार, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक–938/2019, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बरबीघा, शेखपुरा (सम्प्रति निलंबित) को सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

हस्ताक्षर :– Rajendra 15.4.2025

नाम :– डॉ0 बी0 राजेन्दर,

पदनाम :– अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–34(1)(ड.) के परन्तुक एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक–17.05.2022 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है।

16/5/22

(मो0 सोहैल)
सचिव।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

48/50

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत स्वीकृत टी–प्रोसेसिंग एण्ड पैकेजिंग इकाई, कालिदास किस्मत, पोठिया की भूमि, प्लांट एवं मशीनों को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति संपोषित प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से केवल परिचालन हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को हस्तांतरित करने तथा फैक्ट्री के परिचालन हेतु संबंधित प्रोड्यूसर कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन करने का अधिकार प्रदत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत 2002 में टी फैक्ट्री की स्थापना हेतु पेठिया अंचल किशनगंज में 10.60 एकड़ भूमि का क्रय किया गया था। इस फैक्ट्री का परिचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति संपोषित प्रोड्यूसर कंपनी से कराये जाने से संबंधित कृषक उदि्मयों की उद्यमशीलता में वृद्धि होगी जो अंततः उनके जीविकोपार्जन का एक सशक्त माध्यम बनेगा । बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति संपोषित प्रोड्यूसर कंपनी में स्थानीय चाय उत्पादक पत्ती तोड़ने वाली गरीब ग्रमीण महिलाएं भी अंशधारक है, जिनका सशक्तिकरण भी संभव हो सकेगा ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

7/5/25

79

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत ग्रामीण पथ आरेखनों में निर्बाध सम्पर्कता के लिए "मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना" के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति प्रस्तावित है। विभागीय संकल्प संख्या 3012 दिनांक 13.09.2024 की कंडिका संख्या–04 के अनुसार 100 मी० तक के लम्बाई के पुलों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग एवं 100 मी० से अधिक लम्बाई के पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा कराये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान को संशोधित करते हुए ग्रामीण पथ आरेखनों पर मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत सभी लम्बाई के पुलों के निर्माण प्रशासी विभाग यथा ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जायेगा।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना" के अंतर्गत पूर्व से निर्मित एवं जर्जर पुल के जगह नए पुल, Missing Bridge, बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल, पहुँच पथ, जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से अच्छादित योजनाओं, एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक सभा में की गयी घोषणा से संबंधित पुलों तथा पहुँच पथों का निर्माण ग्रामीण पथ के आरेखन में किया जाना है। इन पुलों एवं पथों के निर्माण से आमजनों को निर्बाध एवं बारहमासी संम्पर्कता मिलेगा एवं राज्य के किसी कोने में अधिकतम पाँच घंटे में राजधानी पहुँचने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
प्रेस नोट

बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत कुल 2159 (इक्कीस सौ उनसठ) पदों को नियमावली में चिन्हित पदसोपान के अनुरूप पुनर्गठित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।

17.4.2025

(डॉ० एन० विजयलक्ष्मी)
अपर मुख्य सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

11

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के सुचारू संचालन हेतु रूपये 352738344/– (पैंतीस करोड़ सताईस लाख अड़तीस हजार तीन सौ चौवालीस रूपये) के अनुमानित वार्षिक लागत व्यय पर कुल–663 विभिन्न कोटि के गैर तकनीकी पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

20/5/15

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

: प्रेस नोट :

राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के निमित्त व जीरो टॉलरेंस नीति के तहत श्री रमण राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिकटा, प० चम्पारण सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज के विरूद्ध निगरानी धावा दल द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के फलस्वरूप पद का दुरूपयोग करने तथा भ्रष्ट आचरण के कदाचार पूर्ण कृत्य के प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए श्री राय को सरकारी **सेवा से बर्खास्तगी**, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने हेतु स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–

नाम :–दीपक कुमार सिंह,

पदनाम : अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं सुधार विभाग

13

प्रेस नोट

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं यथा–दाखिल खारिज, ऑनलाइन परिमार्जन, ऑनलाइन भू–लगान, ऑनलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण–पत्र, राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) आदि के अनुश्रवन एवं संचालन में निरंतरता बनाये रखने तथा वर्तमान उभरती हुई तकनीकी आवश्यकताओं के संदर्भ में अगले पाँच वर्षों तक समग्र व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन तथा नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए अंतरविभागीय सक्रियता (Interoperability) सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्रभावी प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को नामित किया जाता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), भारत सरकार की एक विश्वसनीय तकनीकी संस्था है, जिसके द्वारा कार्यों की गोपनीयता अक्षुण्ण रखी जाती है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) का नेटवर्क पूरे राज्य में मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) की भागीदारी विभागीय कार्यों में पूर्व से हीं रही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा विभागीय कार्यों का संचालन ससमय एवं संतोषप्रद ढंग से किया गया है।

वर्तमान समय में उभरती हुई तकनीकी आवश्यकताओं के संदर्भ में इस ऑनलाइन व्यवस्था के लागू होने से विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के कार्य संचालन में गति आयेगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के आम नागरिकों एवं हितबद्ध रैयतों को प्राप्त होगा।

11/1/25

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

वैशाली जिलान्तर्गत महनार प्रखण्ड में बाबा गणिनाथ का अवतरण स्थल धर्मपुर राज पलवैया है। परम्परानुसार यहाँ भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद शनिवार को जयन्ती पूजन महोत्सव का आयोजन होता है। इस वार्षिक जयन्ती में बिहार सरकार एवं भारत सरकार के मंत्रीगण के अलावे देश–विदेश यथा–नेपाल, भूटान, बंगलादेश, इत्यादि से लगभग 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु भाग लेते है। बाबा गणिनाथ एक संत साधक, योद्धा तथा समाज सुधारक थे तथा स्थानीय लोगों द्वारा इन्हें लोक देवता के रूप में मान्यता देते हुए पूजा जाता है।

पलवैया धाम (हसनपुर) महनार को बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पर्यटन का दर्जा प्रदान किया गया है तथा लगभग 7.72 करोड़ की लागत से धर्मशाला का निर्माण सोलर लाईट, तोरण द्वार, गंगा घाट आदि का निर्माण कराया गया है। वस्तुतः पलवैया धाम मेला राष्ट्रीय महत्व का देव स्थल एवं एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन स्थली है। इस मेले को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में सम्मिलित किया जाना स्थानीय श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप है एवं क्षेत्र के पर्यटकीय विकास के लिए आवश्यक है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समाहर्त्ता, वैशाली द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आलोक में वैशाली जिलान्तर्गत **"बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला, महनार"** की पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्ता की पृष्ठभूमि में इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में सम्मिलित किया जाता है।

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

अररिया जिलान्तर्गत कुर्साकांटा प्रखण्ड के डुमरिया पंचायत में बाबा सुन्दरनाथ धाम (सुन्दरी मठ) मेला अवस्थित है, जो कि भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। स्थानीय मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अज्ञात वास के समय पाण्डव कुछ समय के लिए यहाँ प्रवास किये थे तथा माता कुन्ती द्वारा इस पौराणिक मंदिर में पूजा–पाठ भी किया गया है। स्थानीय स्तर पर यह मान्यता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार समय–समय पर बदलते रहता है।

उक्त महाभारत पौराणिक मंदिर में श्रावण माह में जल चढ़ाने हेतु श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है, जिसमें स्थानीय के साथ–साथ पड़ोसी देश नेपाल–भूटान के श्रद्धालु भी दर्शनार्थ आते है। साथ ही, महाशिवरात्रि के अवसर पर लगभग 15 दिनों का विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ होती है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समाहर्त्ता, अररिया द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आलोक में अररिया जिलान्तर्गत "बाबा सुन्दरनाथ धाम (सुन्दरी मठ) मेला" की पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्ता की पृष्ठभूमि में इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत लिया जाता है।

11/7/25

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

16

बिहार सरकार
राजस्व एूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) अधिनियम, 2011 के सुसंगत प्रावधानों के तहत राज्य में अवस्थित रैयती एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू–मानचित्र (नक्शा) निर्मित किया जा रहा है।

भूमि/भू–खण्डों के सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती के क्रम में यह महसूस किया गया कि सर्वेक्षण में शत–प्रतिशत शुद्धता, पारदर्शिता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 अन्तर्गत खानापुरी दल को अन्य तथ्यों के साथ–साथ मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलैन को भी आधार मानने संबंधी प्रावधान किया जाना समीचीन है।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

17

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

केन्द्र सरकार द्वारा जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 को लागू किया गया है एवं अधिनियम में बॉयलर अधिनियम, 1923 की कतिपय धाराओं में संशोधन किया गया है एवं अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधानों में अभियोजन दायर करने के स्थान पर अपराधों के शमन करने का प्रावधान लाया गया है।

2. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के लागू होने के पश्चात् केन्द्र सरकार के पत्र संख्या–DO No. P-30013/1/2020-BOILER, दिनांक–09.05.2024 के माध्यम से नियमावली सूत्रण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसरण में बिहार बॉयलर शास्ति न्यायनिर्णयन एवं अपील नियमावली, 2025 का सूत्रण किया गया है। यदि किसी वाष्पित्र स्वामी द्वारा वाष्पित्र अधिनियम, 1923 की धारा 22, 23, 25(1) एवं 30 का उल्लंघन किया जाता है तो इन अपराधों के लिए वाष्पित्र स्वामी के उपर अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी एवं इन अपराधों के लिए न्यायनिर्णयन एवं अपील का प्रावधान लाया गया है। नियमावली के अन्तर्गत न्यायनिर्णयक पदाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकार के रूप में क्रमशः जिला पदाधिकारी एवं विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को बनाया गया है। इन प्रावधानों के लागू होने से राज्य के अंतर्गत वाष्पित्र अधिनियम, 1923 को संशोधित प्रावधानों का लागू कराया जाना आसान होगा एवं राज्य में औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

16/09/25

(दीपक आनन्द)
सरकार के सचिव

18

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

महाधिवक्ता कार्यालय बिहार सचिवालय का संलग्न कार्यालय है। इस कार्यालय का कार्य पटना उच्च न्यायालय के कार्यों से पूर्णतः जुड़ा है। राज्य सरकार के किसी भी सरकारी मुकदमों में मुख्य प्रतिवादी होने के कारण उन मुकदमों में पक्ष सुनिश्चित करने की पूर्ण व्यवस्था का दायित्व इस कार्यालय के ऊपर है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के परामर्श से निर्गत विधि विभागीय ज्ञापांक–7520/जे0, दिनांक–14.09.23 द्वारा सभी श्रेणी के अधिवक्ता पदाधिकारियों/कर्मियों के विपत्रों के भुगतान की पूर्ण जिम्मेवारी महाधिवक्ता कार्यालय को सौंपा गया है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के गजट सं0–856, दिनांक–28.08.2024 द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के परिशिष्ट–3 में कार्याध्यक्षों और अध्यक्षालयों की सूची में क्रमांक–33 के बाद क्रमांक–34 पर महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार को जोड़ा गया है।

उक्त आलोक में महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना की स्थापना में 34 स्थायी पद तथा 06 संविदा आधारित पद अर्थात कुल 40 (चालीस) पदों की स्वीकृति के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की सहमति अपेक्षित है।

इसके फलस्वरूप महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा।

B.S. Mehrotra 21.04.25
(बासनो शंकर मेहरोत्रा)
सरकार के सचिव (प्र0), बिहार।

D:\purnima\Mamta jee A.S.O\post creation\mantri prisad ki swikriti\press note.doc1.doc

48/50

19

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

बिहार स्वास्थ्य सेवा, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा एवं आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सको/चिकित्सक शिक्षकों को स्वीकृत डायनेमिक ए०सी०पी० के प्रावधान के समरुप ही बिहार दन्त चिकित्सक सेवा के दन्त चिकित्सकों हेतु स्वीकृत डायनेमिक ए०सी०पी० के वैचारिक लाभ को "बिहार दन्त चिकित्सा सेवा नियमावली, 2014" (मूल नियमावली) के निर्गत होने की तिथि यथा दिनांक–14.10.2014 से एवं वित्तीय लाभ दिनांक–01.04.2017 के प्रभाव से स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(शैलेश कुमार)
विशेष सचिव।

Desk-02>Dhan>BHS 2024>Janch pat, press,kar>Awadh>24

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/आ0–03–01/2019

डा0 सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटसा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1621 दिनांक–22.08.2002 द्वारा बाढ़ राहत कार्य में निर्धारित कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के प्रतिवेदित आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं0–704(9) दिनांक–06.07.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के समक्ष बचाव अभिकथन प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। विभागीय पत्रांक–252(9) दिनांक–05.09.2019 एवं प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–12.08.2020 के माध्यम से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी परन्तु उनका प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने के कारण विभागीय संकल्प सं0–137(9) दिनांक–23.01.2023 द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित की गयी।

डा0 सिन्हा द्वारा सेवान्त लाभ का भुगतान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सं0–8436/2024 दायर किया गया। याचिका के साथ संलग्न अभिलेख से ज्ञात हुआ कि वे नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना से प्राध्यापक के पद से दिनांक–31.12.2023 को सेवानिवृत्त हुए है। विभागीय स्तर पर समीक्षा में पाया गया कि वे बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग से बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा में अन्तर्निहित हो गए। डा0 सिन्हा द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अवधि में संस्थित विभागीय कार्यवाही पर कभी भी प्रतिकार नहीं किया गया।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटसा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध संकल्प सं0–137(9) दिनांक–23.01.2023 द्वारा अधिरोपित सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए बर्खास्तगी की तिथि से सेवा में पुनर्स्थापित करने एवं उनके अनुपस्थिति अवधि हेतु कार्य नही तो वेतन नहीं के सिद्धांत मानने एवं किसी भी प्रयोजन हेतु इस अवधि की गणना नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

7.5.25

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

21

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस नोट

गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत पूर्व से सृजित सम्पर्क पदाधिकारी (वेतन स्तर--6), सहायक अनुसंधान पदाधिकारी (वेतन स्तर–06), पौधा संरक्षक निरीक्षक (वेतन स्तर--06) एवं तकनीकी सहायक (वेतन स्तर–06) के कुल 19 पदों को ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर--06) के रूप में सम्परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गयी है।

उक्त पदों के स्वीकृत होने के फलस्वरूप विभाग में संचालित विभिन्न योजना यथाः– मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, गन्ना यंत्रीकरण योजना एवं बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन सुगम तरीके से हो सकेगा। गन्ना के रकवे क्षेत्र में वृद्धि हो सकेगी, जिससे बिहार राज्य के किसान लाभान्वित होगें।

(बी० कार्तिकेय धनजी)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

22

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

जमुई जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ–333C सरौन–चकाई पथ का चौड़ीकरण में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ जमुई जिला के अंचल–चकाई में अवस्थित विभिन्न मौजा के खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–19.875 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखण्ड के महद्दीपुर पंचायत में माँ दुर्गा का मंदिर अवस्थित है, जिसमें लगभग 100 वर्षों से "चैती दुर्गा पूजा मेला" का आयोजन 6 से 7 दिनों तक के लिए किया जाता है। यह मेला लगभग 12.24 एकड़ भूमि, जिसमें कुल–10 एकड़ सरकारी भूमि तथा शेष रैयती भूमि है, पर आयोजित होता है। इस मेले में स्थानीय एवं बाहर से लगभग एक लाख से अधिक श्रद्धालु भाग लेते है। मेले में माँ दुर्गा की पूजा–अराधना की जाती है, जो कि स्थानीय धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम है। साथ ही, इस मेले में अन्य सभी धर्मावलंबियों के द्वारा भी पूजा–अर्चना कार्य में सहयोग प्रदान किया जाता है। वस्तुतः यह मेला सामाजिक समरसता, सामुहिकता एवं सौहार्द की भावना का प्रतीक है।

मेला का आयोजन सामाजिक स्तर पर काफी उत्साहपूर्वक स्थानीय नागरिकों द्वारा सामूहिक प्रबंधन एवं सक्रिय भागीदारी के आधार पर किया जाता है। मेले में कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसके तहत् नाटक, अखाड़ा, इत्यादि सम्मिलित है। इस मेले का स्थानीय स्तर पर पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः इस मेले की स्थानीय स्तर पर सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता अत्यधिक एवं अप्रतिम है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आलोक में खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखण्ड में आयोजित होने वाले "चैती दुर्गा पूजा मेला, महद्दीपुर" की पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्ता की पृष्ठभूमि में इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में सम्मिलित किया गया है।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

24

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

राज्य में आधारभूत संरचना, निर्माण आदि कार्यों में व्यापक बढ़ोत्तरी एवं उसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के कार्यों के सुलभ क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण की सुविधा को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन विभिन्न पदों यथा–अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के 104 पद एवं राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो (भू–अर्जन) के 81 पदों को सृजित हेतु संलेख राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया गया।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के 104 पद एवं राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो (भू–अर्जन) के 81 पदों अर्थात् कुल–185 पदों के सृजन के प्रस्ताव एवं इसके फलस्वरूप अनुमानित कुल वार्षिक व्यय भार ₹ 12,81,32,400/– पर प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

हस्ताक्षर :–

नाम :– (दीपक कुमार सिंह),

पदनाम :–अपर मुख्य सचिव।

E:\2024\Chandan\Sec-3\Act Revenue\mantriparisad hetu sanlekh ADLAO.doc

25

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट का प्रारूप

एन०डी०बी० वित्त सहायतार्थ बिहार ग्रामीण पथ परियोजना फेज–2 "मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)" अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी छूटे हुए असम्पर्कित ग्रामों/बसावटों/ टोलों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के क्रम में एन०डी०बी० से वित्तीय सहायता (ऋण) प्राप्त कर 8283 कि0मी0 ग्रामीण पथ योजनाओं के क्रियान्वयन किये जाने हेतु पूर्व के निर्णय को संशोधित करते हुए इसके अन्तर्गत क्रियान्वित 2652 कि0मी0 के अतिरिक्त लगभग 14000 कि०मी० ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

राज्य के सभी 38 जिलों में मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षित 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी अनजुड़े ग्राम/टोला/बसावट जो अभी तक असम्पर्कित हैं या राज्य या ग्रामीण कार्य विभाग की किसी योजना में स्वीकृत/चयनित नहीं हैं उन्हें बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है ताकि राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकेगा साथ ही ग्रामीणों की आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

(हस्ताक्षर) 24/1/2025

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ''मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान की राशि के लिए कुल 15995.00 करोड़ (पन्द्रह हजार नौ सौ पंचानवे करोड़) रूपये स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक की अवधि के लिये 1332.92 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ बानवे लाख) रूपये प्रति माह की दर से कुल 15995.00 करोड़ (पन्द्रह हजार नौ सौ पंचानवे करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ''मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान की राशि के लिए कुल 15995.00 करोड़ (पन्द्रह हजार नौ सौ पंचानवे करोड़) रूपये स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक की अवधि के लिये 1332.92 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ बानवे लाख) रूपये प्रति माह की दर से कुल 15995.00 करोड़ (पन्द्रह हजार नौ सौ पंचानवे करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>
बिहार, पटना

27

।। प्रेस नोट ।।

पटना महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प, फिलिंग स्टेशन आदि स्थापित करने की अनुमति का प्रावधान है।

राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में न्यूनतम 12.20 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित–2022) के आलोक में अनुमति का प्रावधान है। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत भी नगरपालिका क्षेत्रों में 12.20 मीटर चौड़ी सड़कों से सटे भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प, फिलिंग स्टेशन आदि स्थापित करने की अनुमति/अनापत्ति दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

2/5/25

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

28

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास हेतु डिजाईन कन्सलटेंट के रूप में मेसर्स डिजाईन एसोसिएट्स इनकॉरपोरेटेड, (M/s Design Associates INC.) नोएडा का मनोनयन के आधार पर चयन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन से जुड़े ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों/धरोहरों की व्यापक उपलब्धता बिहार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के विकास हेतु असीम संभावनाएँ पैदा करती है। इस प्रदेश में कई ऐसे स्थल मौजूद हैं, जिनका वृहद तथा समावेशी विकास राज्य में पर्यटन उद्योग को नई गति प्रदान कर सकता है। अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के व्यापक विकास के उपरांत इस स्थल पर आने वाले असंख्य श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के कारण आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि इसका एक जीवंत उदाहरण है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्म स्थली, पुनौराधाम का समग्र विकास उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यक है। प्रगति यात्रा के दौरान उक्त स्थल के समग्र विकास की घोषणा की गयी है।

इस महत्वपूर्ण स्थल के विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के नियंत्रणाधीन लगभग 17.00 एकड़ की भूमि मंदिर परिसर में उपलब्ध है, साथ ही इस स्थल के वृहद एवं समग्र विकास हेतु अतिरिक्त 50.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्य हेतु 120.00 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की जा चुकी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के विकास की कार्य–योजना तैयार करने में शामिल परामर्शी मेसर्स डिजाईन एसोसिएट्स इनकॉरपोरेटेड, (M/s Design Associates INC.) नोएडा का उक्त स्थल के विकास हेतु डिजाईन कन्सलटेंट के रूप में मनोनयन के आधार पर चयन किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

25/4/2025

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग (संशोधन) नीति– 2025 की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति, 2024 का निरूपण संकल्प सं 4095 दिनांक 13.09.2024 के द्वारा किया गया था। उक्त नीति की कंडिका 5(V) में संपादकीय/एडभरटोरियल/आलेख/विज्ञापन प्रकाशन का प्रावधान D.A.V.P दर पर किया गया था। उक्त प्रावधान के तहत पर्यटन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र–पत्रिकाओं में D.A.V.P में संबद्धता/सूचीबद्धता नहीं होने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशन में व्यवहारिक कठिनाई हो रही थी।

बिहार राज्य में अवस्थित हवाई अड्डा पर फर्म/मीडिया को विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार हेतु एकाधिकार प्राप्त है परन्तु उक्त स्थल पर उनका D.A.V.P में सूचीबद्धता नहीं होने के कारण विशेष आयोजनों यथा सोनपुर मेला/श्रावणी मेला/पितृपक्ष मेला/छठ पूजा/कालचक्र पूजा आदि महत्वपूर्ण अवसर पर बिहार पर्यटन की ब्रांडिंग करने में भी व्यवहारिक कठिनाई हो रही थी।

उपर्युक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग (संशोधन) नीति– 2025 की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नीति के अंतर्गत दर निर्धारण समिति का प्रावधान किया गया है, जिसका दायित्व निम्नवत् है:–

❖ ऐसी पत्र–पत्रिकाएँ जिनकी सूचीबद्धता D.A.V.P में नहीं है तथा वे पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनकी विज्ञापन/प्रकाशन/आलेख इत्यादि के लिए उपयोगिता का आकलन किया जाना एवं दर की अनुशंसा किया जाना।

❖ बिहार राज्य में अवस्थित हवाई अड्डों में एकाधिकार प्राप्त एजेंसी (डी.ए.वी.पी. दर नहीं होने पर) का पर्यटकीय दृष्टिकोण से आकलन कर विशेष अवसरों पर जैसे– सोनपुर मेला, श्रावणी मेला, पितृपक्ष इत्यादि के लिए विज्ञापन प्रकाशन एवं दर की अनुशंसा करना। यह अनुशंसा मात्र विशेष अवसरों के लिए ही रहेगी।

सरकार के सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

17/4/2025

15/50

(30)

बिहार सरकार
खेल विभाग
।। प्रेस नोट।।

खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी पहचान बना चुके है। बिहार राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स–2025 का आयोजन किया जा रहा है जो बिहार के लिए ऐतिहासिक अवसर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स–2025 के आयोजन हेतु सैद्धांतिक सहमति एवं उक्त आयोजन पर होने वाले अनुमानित व्यय की कुल राशि ₹119,04,79,129/–(एक सौ उन्नीस करोड़ चार लाख उनासी हजार एक सौ उनतीस रूपये) मात्र पर स्वीकृति दी जाती है।

Rajendra 24.4.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

संoसंo—10 / विविध—18—52 / 2012

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं के उतरोत्तर विकास हेतु कृत संकल्पित है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा राजकीय औषधालय, राजभवन, पटना में आयुर्वेदिक पंचकर्म ईकाई को सुचारू रूप से संचालन हेतु 01 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (आयुर्वेदिक) के पद सृजन की आवश्यकता बतायी गई है। इस आलोक में राजकीय औषधालय, राजभवन, पटना में आयुर्वेदिक पंचकर्म ईकाई हेतु आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (आयुर्वेदिक) के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

23.4.15

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 15/एम 1–09/2025

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन में पश्चिम चम्पारण जिले के अंचल–मधुबनी, वैशाली जिले के अंचल–गोरौल, बेगूसराय जिले के अचंल– शाम्हों, गया जिले के अंचल–इमामगंज, कैमूर जिले के अंचल–अधौरा, बाँका जिले के अंचल–कटोरिया, मुंगेर जिले के अंचल–असरगंज तथा जमुई जिले के अंचल–चकाई में प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालय के लिए शिक्षक श्रेणी के 422 (प्रति महाविद्यालय एक प्रधानाचार्य सहित) तथा शिक्षकेत्तर श्रेणी के 104 अर्थात कुल 526 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पदों के सृजन के फलस्वरूप नवस्थापित महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे इन महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से क्रियान्वित होंगे तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी।

(अजय यादव)
सचिव

बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

प्रेस नोट

मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकीनगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा का पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) करने तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम 131 (झ)(छ) की उपकंडिका–iii के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) शुल्क अग्रिम के रूप में जी०एस०टी० सहित ₹2,43,17,676/– (दो करोड़ तैंतालीस लाख सत्रह हजार छः सौ छिहत्तर रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकीनगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा का पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) होने से हवाई अड्डा का निर्माण तेजी से होगा। हवाई अड्डा का निर्माण होने से राज्य एवं स्थानीय निवासियों को हवाई आवागमन एवं आर्थिक विकास में मदद मिलेगा।

(निशीथ वर्मा)
अपर सचिव

34

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट 396(17) दि०-25.4.25

इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली–2025 अधिसूचित की जा रही है, जिससे राज्य के लोगों को हृदय रोग की गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ संस्थान के प्रशासनिक दायित्वों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

25/4/25
(शैलेश कुमार)
विशेष सचिव।